

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंप्रअ.-एपीओ पदस्था./2019/ 583

जयपुर,दिनांक: 27/03/20

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 2891 दिनांक 06.08.2019, 2894 दिनांक 07.08.2019 द्वारा श्री श्रीकिशन जांगिड एवं श्री विजय सिंह सैनी को आदेशों की प्रतिक्षारत किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया गया। जिसकी पालना में श्री श्रीकिशन जांगिड ने दिनांक 21.08.2019 को विभाग में उपस्थिति दी, जिनका पदस्थापन आदेश क्रमांक 358 दिनांक 25.02.2020 द्वारा पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर किया गया एवं श्री विजय सिंह सैनी ने दिनांक 13.08.2019 को विभाग में उपस्थिति दी, जिनका पदस्थापन आदेश क्रमांक 358 दिनांक 25.02.2020 द्वारा पंचायत समिति मकराना, जिला नागौर किया गया। इस दौरान ये दिनांक 27.01.2020 से 29.01.2020 तक आकस्मिक अवकाश पर रहे हैं।

इस संबंध में श्री श्रीकिशन जांगिड, सहायक सचिव, पंचायत समिति लाडनूं (नागौर) की दिनांक 21.08.2019 से दिनांक 25.02.2020 तक की ए.पी.ओ. अवधि को नियमित किया जाकर उक्त अवधि के वेतन में से आदेश क्रमांक 74 दिनांक 20.01.2019 की पालना में आहरित किये जा चुके वेतन को छोड़कर, शेष अवधि का वेतन पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में रिक्त रहे सहायक सचिव के पद के विरुद्ध आहरित किये जाने एवं श्री विजय सिंह सैनी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति मकराना (नागौर) की दिनांक 13.08.2019 से दिनांक 25.02.2020 तक की ए.पी.ओ. अवधि को नियमित जाकर उक्त अवधि के वेतन में से आदेश क्रमांक 4655 दिनांक 31.12.2019 की पालना में आहरित किये जा चुके वेतन को छोड़कर, शेष अवधि का वेतन पंचायत समिति मकराना, जिला नागौर में रिक्त रहे पंचायत प्रसार अधिकारी के पद के विरुद्ध आहरित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
4. संबंधित सहायक सचिव/पंचायत प्रसार अधिकारी।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II